



म.प्र.राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्या.

(म.प्र.शासन का उपक्रम)

पंचांगन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल

Email : mpagrohobpl@gmail.com, Phone No (0755)- 2551967, 2551756

CIN NO-UO1119mp1969GC001055

क्र./मुख्या./उद्यान/Plastic Items/2026-27/1745

दिनांक - 23/9/26

प्रति,

प्रसारण क्र. - 01

जिला प्रबंधक (समस्त)

विषय- वर्ष 2026-27 एवं आगे की अवधि हेतु **ISI-Mark (IS 16008:2016) & Non ISI-Mark Shadenet (Mono type and Tape Type) and Mesh Montage** की प्रदाय दरों के संबंध में।

निगम द्वारा वर्ष 2026-27 एवं आगे की अवधि हेतु **ISI-Mark (IS 16008:2016) & Non ISI-Mark Shadenet (Mono type and Tape Type) and Mesh Montage** के रेट कांट्रेक्ट ऑफर आमंत्रित किये गये थे। सामग्री के प्रदाय हेतु गठित समिति द्वारा दी गई अनुशंसाओं के अनुसार योग्य प्रदायकों से अनुबंध निष्पादित कर दरों का अनुमोदन किया गया है। प्रदायकवार एवं सामग्रीवार अनुमोदित क्रय-विक्रय दरों का प्रसारण निम्नानुसार किया जाता है :-

Sr	NAME OF SUPPLIER	NAME OF MANUFACTURER	ISI Mark Shadenet (IS 16008:2016)	Approved Type	Final Selling Rate Rs. per SQM FOR Destination (including GST)
1	M/s. Pawan Enterprises 22, Shanti Kunj, Opp. Hotel Radisson Blue, Scheme no 94, Indore-452010 Email- pawanenterprises22@gmail.com	Saflex International Ltd	ISI Mark Tape Type	50%	44.10
				75%	48.30
			ISI Mark Mono Type	35%	64.58
				50%	67.72
2	Shree Sidhivinayak Trading Company H.no 22, Bhel Sangam, Baghsewaniya, Bhopal Mob- 7999048481 Email- morchhale.nitin@gmail.com	Parry Enterprises India Ltd	ISI Mark Tape Type	50%	44.10
				75%	48.30
				90%	55.32
			Non ISI Mark Tape Type	50%	42.00
				75%	46.20
				90%	51.02
			ISI Mark Mono Type	35%	64.58
				50%	67.72
3	M/s. Aruna Enterprises CM-68, Sector 'C', Shahpura, Bhopal Mob- 9826042216 Email- ar.enterpris@yahoo.co.in	CTM Technical Textiles Ltd	ISI Mark Tape Type	35%	61.96
				50%	65.05
			Non ISI Mark Mono Tape	50%	44.10
				75%	48.30
				50%	42.00
				75%	46.20

2. पत्र के साथ सामग्री की क्रय-विक्रय दरों का प्रपत्र संलग्न किया जा रहा है।

वर्ष 2026-27 एवं आगे की अवधि हेतु जारी रेट कांट्रेक्ट ऑफर निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे डाउनलोड कर रिकार्ड में रखा जाए तथा रेट कांट्रेक्ट ऑफर में वर्णित शर्तों एवं कंडिकाओं का पालन सुनिश्चित किया जाए।

3. प्रदायगी की शर्तें :-

केता विभाग से प्राप्त मांग एवं अनुशंसा (प्रदायक/निर्माता) अनुसार निगम के जिला प्रबंधक प्राप्त मांग/कय आदेश क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित करेंगे। क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा सामग्री के प्रदाय आदेश जारी किए जाएंगे।

प्रदायक को निगम के आदेशानुसार अधिकतम 15 दिवस के अंदर सामग्री प्रदाय करनी होगी। आवश्यकता अनुसार यह समय-सीमा घटाई भी जा सकती है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रदाय आदेश जारी किये जाने के उपरान्त आदेश में दी गई निर्धारित अवधि में आदेशित मात्रा एवं आरसीओ की शर्तों के अनुसार निर्धारित मापदण्ड की गुणवत्ता पूर्ण सामग्री का प्रदाय किया जाना आवश्यक है।

.....2

- 3.1 निगम द्वारा जारी आदेश में उल्लेखित की गई प्रदायगी की तिथि/स्थल के संबंध में केता विभाग द्वारा परिवर्तन किया जाता है, तो उसकी विधिवत् सूचना प्रदायक को दी जावेगी। प्रदायक द्वारा नवीन शेड्यूल के मान से आदेशित सामग्री प्रदाय करना आवश्यक होगी। उक्तानुसार परिवर्तन होने की दशा में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान निगम द्वारा प्रदायक को नहीं किया जावेगा।
- 3.2 परिवहन के दौरान आग, चोरी, एक्सीडेंट, टूटफूट आदि किसी भी प्रकार से सामग्री को हुए नुकसान की जवाबदारी प्रदायक की रहेगी। इस प्रकार से हुए नुकसान की भरपाई प्रदायक द्वारा ही पूरी की जाना होगी।
- 3.3 आदेशित मात्रानुसार सामग्री निगम के जिला कार्यालय के माध्यम से निर्धारित विभाग/स्थान तक पहुँचाने लोडिंग/अनलोडिंग सहित समस्त जवाबदारी संबंधित प्रदायक की रहेगी।
- 3.4 प्रदायक द्वारा निर्धारित समय सीमा में सामग्री प्रदाय न किये जाने की दशा में आरसीओ की शर्त की कंडिका 21 के आधार पर निम्नानुसार शास्ति (पेनाल्टी) अधिरोपित की जावेगी :-

Sr	Week	Penalty in Percentage of the value of the non supplied items within the prescribed time of the issued order
1	First to Second	0.25% per week
2	Third to Fourth	0.50% per week
3	Beyond Fourth week	By canceling the supply order of the supplier, the contract can be canceled and the corporation can be banned from doing business for the next 01 to 05 years. The decision of the Managing Director will be final and binding.

- 3.5 आरसीओ की कंडिका क्रं 22 के अनुसार The approved offerer/supplier will uploaded the order copy/receipt of order date, date of supply, date of submission of bill, date of receipt of payment etc on the MPFSTS portal handle by the Department of Horticulture.
- 3.6 आरसीओ की कंडिका क्रं 18 के अनुसार वारंटी की शर्त निम्नानुसार रहेंगी :-
The material supplied should carry minimum 01 year warranty from the date of supply. The supplier is responsible for damages if any, occurring due to manufacturing defect, inferrer quality, etc. In such case, the supplier will replace/repair such material on its own expenses within 10 days from the date of intimation letter. If supplier is fail to do so in the given time limit of 10 days the corporation/department shall not be responsible for the theft or further damage of the item or the department/beneficiary may be free to repair/replace the defective material from open market and corporation will recover the cost or expenditure whatsoever, from the future bills of the supplier or from the security deposit.
- 3.7 आरसीओ की कंडिका क्रं 12 के अनुसार PRE INSPECTION FOR QUALITY BEFORE DELIVERY की शर्त निम्नानुसार रहेगी -
- A-(i) Agency only from any of the State/Central/PSU Undertaking/any institution which is incorporated following a Gazette Notification or by a special act passed by Government of India, India classification society approved by Quality Council of India (NABCB) or by any State government as the Quality Control Inspection (QCI), third party inspection by Government agency or agency registered under section-25 in company act 1956 like DGS&D/RITES/ CIPET/EIL/IR Class/PDIL/Crown agent etc.
- (ii) All material supplied under this RCO may be inspected by third party by the Corporation for this purpose.
- (iii) Expenses related to third party inspection shall be borne by bidder.
- (iv) Inspection report of such inspection conducted shall be submitted by bidder along with bills at the time of payment.
- B The Managing Director may decide to inspect the production/quality control facilities of the offerer through any means, before or after the execution of agreement. If any time it is found that the information submitted by the offerer/supplier is not according to the document submitted the Managing Director reserves the right to reject the offer or terminate the agreement.

- 3.8 आरसीओ की कंडिका क्रं 19 के अनुसार Testing of Quality की शर्त निम्नानुसार रहेंगी -
In case of any dispute of quality, the Corporation will get the material tested in order to ascertain the quality by testing in CIPET, the testing charges incurred for the same shall be recovered from the bills or EMD of supplier with the Corporation.
4. सामग्री की गुणवत्ता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रदायक की रहेगी। किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर प्रदायक द्वारा निरीक्षण कर शिकायत का निराकरण किया जाएगा। उचित गुणवत्ता की सामग्री का प्रदाय नहीं किये जाने पर कयकर्ता/उपयोगकर्ता को हुई हानि की भरपाई किये जाने का उत्तरदायित्व प्रदायक का रहेगा।
5. गुणवत्ता मानक स्तर की नहीं होने या प्रदाय में अन्य किसी भी प्रकार की विसंगति के चलते क्रेता/उपयोक्ता द्वारा निगम के विरुद्ध किसी भी प्रकार की न्यायालयीन/उपभोक्ता फोरम आदि में कार्यवाही की जाती है तो ऐसी कार्यवाही के क्रम में निगम द्वारा किये जाने वाले व्यय तथा सक्षम न्यायालय द्वारा संबंधित क्रेता को किसी प्रकार की डिक्री अरोपित की जाती है, तो उसकी भरपाई प्रदायक को की जाना होगी/निगम प्रदायक को देय भुगतान में से राशि का समायोजन कर सकेगा।
6. बिना सक्षम प्राधिकारी के आदेश के कोई भी सामग्री का प्रदाय नहीं किया जावे। प्रदायक द्वारा किसी सामग्री का प्रदाय बिना निगम आदेश के क्रेता विभाग को किया जाता है तो प्रदाय की समस्त जिम्मेदारी प्रदायक की होगी। ऐसे प्रदाय के लिये प्रदायक द्वारा जारी देयक के भुगतान के लिये निगम जिम्मेदार नहीं होगा। विशेष परिस्थिति में बिना आदेश के प्रदाय की गई सामग्री को मान्य करने का निर्णय प्रबंध संचालक ले सकेंगे।
7. कन्साइनमेंट को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार :-

आदेशानुसार निर्धारित मापदण्ड/समय सीमा में सामग्री प्रदायक द्वारा प्रदाय किया जाना आवश्यक है। निम्न स्थितियों में प्रदायक द्वारा भिजवाया गया कन्साइनमेंट अस्वीकृत किया जा सकता है :-

- (अ) उचित/निर्धारित गुणवत्ता न होने की दशा में।
(ब) निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के पश्चात् कन्साइनमेंट प्राप्त होने की दशा में।

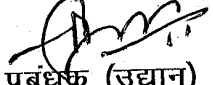
यदि उक्त कारणों के आधार पर कन्साइनमेंट अस्वीकृत किया जाता है तो उसे निगम द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्रदायक को स्वयं के व्यय पर वापिस लेना होगा। किसी भी स्थिति में निगम कन्साइनमेंट वापिस होने से हुए नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं रहेगा।

8. भुगतान :-

जिला प्रबंधक द्वारा "भुगतान पश्चात् भुगतान" की शर्त अनुसार प्रदायक के देयकों का भुगतान किया जावेगा :-

- (अ) प्रदायक के देयक की 80 प्रतिशत राशि का भुगतान आदेशानुसार क्रेता विभाग से पावती/भौतिक सत्यापन रिपोर्ट (निगम के निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार प्राप्तकर्ता विभाग और निगम के अधिकारियों एवं प्रदायकर्ता के संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त पावती/भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर) प्राप्त होने एवं देयक की राशि प्राप्त होने की दशा में सामान्यतः 07 दिवस में किया जावेगा।
- (ब) देयक की शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान संबंधित विभाग से निगम के निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार (प्राप्तकर्ता विभाग तथा निगम के अधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त) संतुष्टि प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर सामान्यतः 120 दिवस में किया जावेगा।
- (स) यदि संबंधित विभाग द्वारा 120 दिवस की समय-सीमा में संतुष्टि प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है तथा प्रदायित सामग्री के संदर्भ में किसी प्रकार की शिकायत भी प्राप्त नहीं हुई है और निगम को पूर्ण राशि भी प्राप्त हो चुकी हो तो निगम संबंधित विभाग को सूचित करते हुये शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान संबंधित प्रदायक को कर सकेगा।

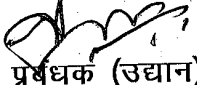
9. प्रदायकर्ता द्वारा जो दरें निगम को प्रस्तुत की हैं वे दरें न्यूनतम होना आवश्यक है। निगम के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध के प्रभावशील रहने तक प्रदायकों द्वारा अनुमोदित दरों से कम दर पर अन्य संस्थाओं/व्यक्ति/शासकीय विभाग या उपक्रम को प्रदाय किए जाने की जानकारी निगम के संज्ञान में आती है, तो प्रदायकर्ता द्वारा निगम के साथ किए गए अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गई समस्त सामग्री पर वही कम दर लागू मानते हुये अंतर की राशि वसूली प्रदायक के भुगतान हेतु लंबित देयकों से की जावेगी। साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करते हुए प्रदायक की धरोहर राशि जप्त करने की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक उत्तरदायी रहेंगे।
10. यह दरें निगम के माध्यम से व्यवसाय किये जाने के लिए प्रसारित की जा रही हैं। इन प्रसारित दरों के अन्य किसी प्रयोजन के लिए अनुमोदित दर न माना जाए। यदि किसी भी अन्य विभाग द्वारा इन दरों पर सीधे प्रदायकों से कय किया जाता है तो उसके लिए निगम किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा।
11. निगम द्वारा जारी अनुमोदित दरें प्रथम दर प्रसारण से आगामी तीन माह तक प्रभावशील रहेंगी, परन्तु इन दरों की प्रभावशीलता को निगम द्वारा निवन दर प्रसारण होने तक बढ़ाया जा सकेगा।
- प्रदायगी की शेष शर्तें रेट कांट्रेक्ट ऑफर में वर्णित शर्तों एवं अनुबंध के अनुसार रहेंगी। इस प्रसारण के उपरांत **ISI (IS 16008:2016)/Non ISI Mark Shadenet** की पूर्व में प्रसारित विकय दरें स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
- प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित


प्रबंधक (उद्यान)

प्रतिलिपि :-

1746
23-9-26

1. निज सचिव, प्रमुख सचिव, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. निज सचिव, संचालक, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण, भोपाल।
4. निज सचिव, मुख्य वन संरक्षक/अनुसंधान एवं विस्तार, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
5. निज सचिव, आयुक्त, रेशम संचालनालय, भू-तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
6. उप संचालक/सहायक संचालक उद्यान, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण (समस्त)।
7. उप संचालक कृषि, किसान कल्याण तथा कृषि विकास (समस्त)।
8. क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. मेसर्स.....की ओर सूचनार्थ।
10. mpfstshelpdesk@mp.gov.in की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

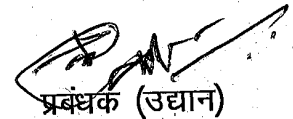

प्रबंधक (उद्यान)

ISI MARK SHADE NET (TAPE TYPE) (IS 16008:2016)**Supply Rates for the year 2026-27 & onwards****(A) PURCHASE PRICE (in Rs)**

Particulars	ISI MARK SHADENET					
	TAPE TYPE-I (50%)		TAPE TYPE-II (75%)		TAPE TYPE-III (90%)	
	Supply from M.P.	Supply from out of M.P.	Supply from M.P.	Supply from out of M.P.	Supply from M.P.	Supply from out of M.P.
Basic Price (in Rs) per Sqm	40.00	40.00	43.81	43.81	50.18	50.18
IGST@5% on Basic Price	-	2.00	-	2.19	-	2.51
CGST @ 2.5% Basic Price	1.00	-	1.095	-	1.255	-
SGST @ 2.5% Basic Price	1.00	-	1.095	-	1.255	-
Corporation Purchase Price	42.00	42.00	46.00	46.00	52.69	52.69

(B) SELLING PRICE (in Rs)

Particulars	ISI MARK SHADE NET		
	TAPE TYPE-I (50%)	TAPE TYPE-II (75%)	TAPE TYPE-III (75%)
Basic Price (in Rs) per Sqm	40.00	43.81	50.18
Margin 5% on Basic Price	2.00	2.19	2.51
Sub total	42.00	46.00	52.69
CGST @ 2.5% (on sub total)	1.05	1.15	1.315
SGST @ 2.5% (on sub total)	1.05	1.15	1.315
Corporation Selling Price	44.10	48.30	55.32


प्रबंधक (उद्यान)

Non ISI MARK SHADE NET (TAPE TYPE)

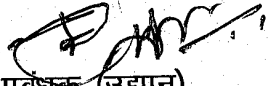
Supply Rates for the year 2026-27 & onwards

(A) PURCHASE PRICE (in Rs)

Particulars	NON ISI MARK SHADENET					
	TAPE TYPE-I (50%)		TAPE TYPE-II (75%)		TAPE TYPE-III (90%)	
	Supply from M.P.	Supply from out of M.P.	Supply from M.P.	Supply from out of M.P.	Supply from M.P.	Supply from out of M.P.
Basic Price (in Rs) per Sqm	38.10	38.10	41.90	41.90	46.28	46.28
IGST@5% on Basic Price	-	1.90	-	2.10	-	2.31
CGST @ 2.5% Basic Price	0.95	-	1.05	-	1.155	-
SGST @ 2.5% Basic Price	0.95	-	1.05	-	1.155	-
Corporation Purchase Price	40.00	40.00	44.00	44.00	48.59	48.59

(B) SELLING PRICE (in Rs)

Particulars	NON ISI MARK SHADE NET		
	TAPE TYPE-I (50%)	TAPE TYPE-II (75%)	TAPE TYPE-III (75%)
Basic Price (in Rs) per Sqm	38.10	41.90	46.28
Margin 5% on Basic Price	1.90	2.10	2.31
Sub total	40.00	44.00	48.59
CGST @ 2.5% (on sub total)	1.00	1.10	1.215
SGST @ 2.5% (on sub total)	1.00	1.10	1.215
Corporation Selling Price	42.00	46.20	51.02


प्रबंधक (उद्यान)

ISI MARK SHADE NET (MONO TYPE) (IS 16008:2016)

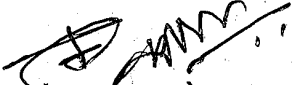
Supply Rates for the year 2026-27 & onwards

(A) PURCHASE PRICE (in Rs)

Particulars	ISI MARK SHADENET			
	MONO TYPE-I (35%)		MONO TYPE-II (50%)	
	Supply from M.P.	Supply from out of M.P.	Supply from M.P.	Supply from out of M.P.
Basic Price (in Rs) per Sqm	58.57	58.57	61.43	61.43
IGST@5% on Basic Price	-	2.93	-	3.07
CGST @ 2.5% Basic Price	1.465	-	1.535	-
SGST @ 2.5% Basic Price	1.465	-	1.535	-
Corporation Purchase Price	61.50	61.50	64.50	64.50

(B) SELLING PRICE (in Rs)

Particulars	ISI MARK SHADE NET	
	MONO TYPE-I (35%)	MONO TYPE-II (50%)
Basic Price (in Rs) per Sqm	58.57	61.43
Margin 5% on Basic Price	2.93	3.07
Sub total	61.50	64.50
CGST @ 2.5% (on sub total)	1.54	1.61
SGST @ 2.5% (on sub total)	1.54	1.61
Corporation Selling Price	64.58	67.72


प्रबंधक (उद्यान)

Non ISI MARK SHADE NET (MONO TYPE)

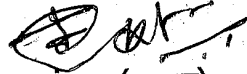
Supply Rates for the year 2026-27 & onwards

(A) PURCHASE PRICE (in Rs)

Particulars	NON ISI MARK SHADENET			
	MONO TYPE-I (35%)		MONO TYPE-II (50%)	
	Supply from M.P.	Supply from out of M.P.	Supply from M.P.	Supply from out of M.P.
Basic Price (in Rs) per Sqm	56.20	56.20	59.00	59.00
IGST@5% on Basic Price	-	2.81	-	2.95
CGST @ 2.5% Basic Price	1.405	-	1.475	-
SGST @ 2.5% Basic Price	1.405	-	1.475	-
Corporation Purchase Price	59.01	59.01	61.95	61.95

(B) SELLING PRICE (in Rs)

Particulars	NON ISI MARK SHADE NET	
	MONO TYPE-I (35%)	MONO TYPE-II (50%)
Basic Price (in Rs) per Sqm	56.20	59.00
Margin 5% on Basic Price	2.81	2.95
Sub total	59.01	61.95
CGST @ 2.5% (on sub total)	1.475	1.55
SGST @ 2.5% (on sub total)	1.475	1.55
Corporation Selling Price	61.96	65.05


प्रबंधक (उद्यान)

भौतिक सत्यापन रिपोर्ट

उप संचालक/सहायक संचालक उद्यान का आदेश क्रमांक

दिनांक

योजना का नाम.....

घटक का नाम

वर्ष

निगम के क्षेत्रीय कार्यालय के आदेश क्रमांकदिनांक
 के क्रम में प्रदायक मेसर्सद्वारा चालान/देयक क्रं.
 दिनांक से निम्नानुसार सामग्री का प्रदाय किया गया है।

क्रं.	सामग्री का नाम	Specification/ Model	एग्री का चालान क्रं. / दिनांक	एग्री का देयक क्रं./ दिनांक	प्राप्त मात्रा	सामग्री की गुणवत्ता
1						
2						

उक्तानुसार प्राप्त सामग्री का भौतिक सत्यापन आज दिनांक को संबंधित प्राप्त कर्ता विभाग के सक्षम अधिकारी के साथ संयुक्त रूप से किया गया है। उपरोक्तानुसार सामग्री सही हालत में प्राप्त हुआ है और निगम मुख्यालय द्वारा जारी दर अनुमोदन पत्र/आरसीओ की शर्तों एवं निर्धारित स्पेशिफिकेशन अनुसार है, जिसे हितग्राहियों को वितरित करने की अनुशंसा की जाती है।

उप /सहायक संचालक उद्यान

 (सील मुद्रा सहित)

जिला प्रबंधक

 (सील मुद्रा सहित)

प्रदायक के हस्ताक्षर
 (सील मुद्रा सहित)

कार्यालय उप/सहायक संचालक उद्यान

कार्यालय का नाम

जिला

क्रमांक

दिनांक

संतुष्टी रिपोर्ट

उप/सहायक संचालक का आदेश क्रमांक

योजना का नाम.....

घटक का नाम

वर्ष

जिला प्रबंधक, एम पी स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रीज द्वारा चालान/देयक से निम्नानुसार सामग्री का प्रदाय किया गया है :-

एग्रो का चालान क्र./ दिनांक	एग्रो का देयक क्र./ दिनांक	प्रदाय संस्था का नाम	सामग्री का नाम	Specification/ Model	कुल मात्रा	रिमार्क

उपरोक्तानुसार प्रदाय की गई सामग्री निगम मुख्यालय द्वारा जारी अनुमोदन पत्र/आरसीओ की शर्तों एवं निर्धारित स्पेशिफिकेशन अनुसार है तथा सामग्री की गुणवत्ता के संबंध में फील्ड से इस कार्यालय को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

उप/सहायक संचालक उद्यान

.....

जिला

(सील मुद्रा सहित)